न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –94 / 2020
जी.सी.एम.एस.पोर्टल संख्या–2020 / 00103

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेण्ट
गणेशराम पुत्र खेराजराम उम्र 58 वर्ष जाति जाट निवासी अलाय तहसील व जिला नागौर		राज. सरकार जरिये नायब तहसीलदार, नागौर

उपस्थितिः–

1. **अपीलाण्ट की ओर से वकील श्री बाबुलाल खोजा।**
2. **रेस्पोडेण्ट की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया।**

निर्णय **दिनांक** 11-02-2021

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत नायब तहसीलदार नागौर द्वारा मुकदमा नम्बर 03/2019 अधीन धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 30.12.2019 से असंतुष्ट होकर दिनांक 15.01.2020 को प्रस्तुत की गई। अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट ने अपीलांट की ओर से बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का अलाय द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि गणेशराम खेत खसरा नम्बर 1642 रकबा 41.4.3 बीघा में से 1.10 बीघा गैर मुमकिन मगरा भूमि पर संवत् 2076 में बाड़ बनाकर अतिक्रमण किया गया जिस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर धारा 91 एल.आर. एक्ट के तहत अप्रार्थी अपीलांट को नोटिस जारी किया गया जिस पर अपीलांट ने उपस्थित होकर अपना जबाब व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट साक्ष्य प्रस्तुत करने का बिना अवसर दिये ही व पटवारी हल्का के बयान बिना लेखबद्व किये ही अपीलांट को अतिक्रमी मानकर 18 रूपये जुर्माना करते हुए अपीलांट को बेदखल करने का आदेश पारित किया गया जिस आदेश से व्यथित होकर अपील पेश की गई है।

अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत जाकर निर्णय पारित करने में कानूनी रूप से बड़ी भारी भूल की गई है। पटवारी हल्का ने बिल्कुल ही झूठी व मिथ्या रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तथा अपीलांट का कोई किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं है तथा अधिनस्थ न्यायालय ने मात्र मिथ्या व झूठी रिपोर्ट को आधार मानकर पटवारी हल्का ने बयान लेखबद्व किये बिना ही जैर अपील आदेश पारित किया गया जो निरस्त किये जाने योग्य है।

खसरा नम्बर 1642 पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है बल्कि उक्त भूमि पर अपीलांट का कब्जा व स्वामित्व पिछले 55–60 वर्षो से लगातार रहता चला आ रहा है। खसरा नम्बर 164 पर अपीलांट का जो कब्जा है वह वैध है और स्वामित्व की हैसियत से है तथा अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आता है बल्कि बड़ेरों के समय से ही कब्जा रहता चला आया है। ऐसी स्थिति में जैर अपील आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

उक्त खसरा नम्बर के संबंध में पूर्व में अपीलांट के पिता स्व. श्री खेराजराम के खिलाफ धारा 91 एल.आर. एक्ट की कार्यवाही खोली गई थी जो प्रकरण संख्या 639/1985 अनवान प्रकरण सरकार बनाम बलदेवराम वगैरा की अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन थी जिस पत्रावली में अधिनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों [illegible] दिनांक 12.09.1985 को निर्णय पारित किया गया जिस निर्णय में अधिनस्थ न्याया[illegible]लांट के पिता खेराजराम का कब्जा वैध व स्वामित्व की भूमि मानकर अपी[illegible] में नियमन करने की सिफारिश की गई और खेराजराम को अतिक्रमी नहीं माना गया [illegible] आज दिन तक प्र[illegible] इसलिए अधिनस्थ न्यायालय को इस भूमि के संबंध में दुबारा धारा 91 एल.आर. एक्ट का प्र[illegible]दर्ज करने का भी कोई क्षेत्राधिकार नहीं है न था। क्योंकि अतिक्र[illegible] के संबंध में पूर्व में अधि[illegible] न्यायालय ने निर्णय पारित किया जा चुका था जिस निर्णय के करीब 35 वर्ष बाद दुबार झूठी व मिथ्या रिपोर्ट के

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 16:26:15 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने अपने पूर्व के आदेश के खिलाफ जाकर प्रकरण दर्ज करने व जैर अपील आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में जैर अपील आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय कानूनी प्रावधानों के खिलाफ पारित किया गया है तथा पूर्व में जो अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय पारित किया गया था उस निर्णय को नहीं मानने का कोई कारण नहीं है और न ही कोई कारण उल्लेख किया गया है तथा उक्त अपीलांट के बड़ेरों के समय से स्वामित्व की है जो नियमन करने योग्य है और अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पूर्व में नियमन की सिफारिश की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को अतिक्रमी मानने में अधिनस्थ न्यायालय ने कानूनी रूप से बड़ी भारी भूल की गई है। इसलिए निर्णय जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिनस्थ न्यायालय को अपने निर्णय दिनांक 12.09.1985 से भिन्न निर्णय पारित करने व दुबारा प्रकरण दर्ज करने का कानूनी रूप से बड़ी भारी भूल की गई है तथा उक्त भूमि पर अपीलांट का पीढ़ियों पुराना कब्जा स्वामित्व रहता चला आया है अपीलांट व उसके पिता ने समय–समय पर राशि का राशि का राज्य सरकार को अदा कर रसीद प्राप्त की है तथा उक्त भूमि में से काफी लोगों के पक्ष में नियमन हो चुका है तथा उक्त भूमि की किश्म गैर मुमकिन मगरा है जो नियमन के लिए प्रतिबंधित भूमि नहीं है नियमन किये जाने योग्य भूमि है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि पर अपीलांट का कब्जा व स्वामित्व वैध्या है तथा अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आता है। ऐसी स्थिति में जैर अपील आदेश निरस्त किये जाने योग्य होने का कथन करते हुए अपीलांट की अपील स्वीकार कर जैर अपील आदेश दिनांक 30.12.2019 को अपास्त किया जावे व उक्त भूमि को अपीलांट के पक्ष में नियमन करने की सिफारिश करने का आदेश पारित किया जाने का निवेदन किया।

राजपैरोकार ने रेस्पोडेन्ट की ओर से बहस में कथन किया कि पटवारी अलाय एवं भू–अभिलेख निरीक्षक अलाय की रिपोर्ट अनुसार अपीलान्ट द्वारा ग्राम अलाय के खसरा नम्बर 1642 किस्म गैर मुमकिन मगरा की 1.10 बीघा भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। उक्त रिपोर्ट पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर बाद सुनवाई निर्णय जैर अपील पारित कर अपीलान्ट को वादग्रस्त भूमि से बेदखली व जुर्माना का आदेश दिया गया है। अपीलान्ट का कथन कि खसरा नम्बर 1642 पर अपीलान्ट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा व स्वामित्व पिछले 55–60 वर्षों लगातार चला आ रहा है, जो वैध है और स्वामित्व की हैसियत से है, जो अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आता है। वकील अपीलान्ट के उक्त कथन से भी साबित है कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट ने कब्जा कर अतिक्रमण किया है।

वकील अपीलान्ट द्वारा नायब तहसीलदार नागौर के मु0नं0 639/85 सरकार बनाम बलदेवराम व खेराजराम जाट प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 12.09.85 के अनुसार वादग्रस्त खसरा नम्बर 1642 की भूमि में से 4.10बीघा भूमि खेराजराम व बलदेवराम के नाम नियमन करने की सिफारिस की गई है। उक्त आदेश/निर्णय आज दिन प्रभावी है एवं उक्त खेराजराम का हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट गणेशराम पुत्र है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से पुनः मौजा अलाय के खसरा नम्बर 1642 में रकबा 01.10 बीघा किस्म गैर मुमकिन मगरा में भूमि पर अपीलान्ट द्वारा संवत् 2076 में बाड़ बनाकर अतिक्रमण क प्रकरण में निर्णय जैर अपील पारित किया है, जिसे जैर अपील निरस्त करते हुए अपीलान्ट के पक्ष में नियमन करने का निवेदन किया है।

उक्त संबंध में उल्लेखनीय है कि नियमन की सिफारिश कर देने मात्र के आधार पर सरकारी भूमि पर काबिज व्यक्ति को उस भूमि पर स्वामित्व प्राप्त नहीं हो जाता है। कब्जाशुदा भूमि पर नियमन की सिफारिश के पश्चात कब्जासुद भूमि पर काबिज व्यक्ति के पक्ष में विधिवत नियमन होने के उपरान्त ही स्वामित्व प्राप्त हो सकता है। वकील अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट के पक्ष में नियमन हो गया हो ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि पर उसका कब्जा अतिक्रमण की श्रेणी में ही माना जायेगा। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील विधि अनुरूप होने का कथन करते हुए राजपैरोकार ने अपीलान्ट की अपील सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया गया है।

वकुलाय की बहस पर ध्यान किया। समस्त पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में पटवारी अलाय एवं भू–अभिलेख निरीक्षक अलाय की रिपोर्ट दिनांक 16.10.2019 के अनुसार अपीलान्ट द्वारा ग्राम अलाय के खसरा नम्बर 1642 किस्म गैर मुमकिन मगरा की 1.10 बीघा भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। उक्त रिपोर्ट पर अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार नागौर द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर बाद सुनवाई निर्णय जैर अपील पारित कर अपीलान्ट को वादग्रस्त भूमि से बेदखली व जुर्माना का आदेश दिया गया है। अपीलान्ट का कथन कि खसरा नम्बर 1642 पर अपीलान्ट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा व स्वामित्व पिछले 55–60 वर्षों लगातार चला आ रहा है, जो वैध है और स्वामित्व की हैसियत से है,

Signature Not Verified
Digitally Signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 16:26:15 IST
Reason: SelfAttested

जो अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आता है। वकील अपीलान्ट के उक्त कथन से भी स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट ने कब्जा किया है।

वकील अपीलान्ट द्वारा नायब तहसीलदार नागौर के मु0नं0 639/85 सरकार बनाम बलदेवराम व खेराजराम जाट निर्णय दिनांक 12.09.85 के अनुसार ग्राम अलाय के खसरा नम्बर 1642 गैर मुमकिन मगरा में से 4.10बीघा भूमि खेराजराम व बलदेवराम के नाम नियमन करने की सिफारिस की गई है। उक्त आदेश/निर्णय आज दिन प्रभावी है एवं उक्त खेराजराम का हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट गणेशराम पुत्र है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से पुनः मौजा अलाय के खसरा नम्बर 1642 में रकबा 01.10 बीघा किस्म गैर मुमकिन मगरा में भूमि पर अपीलान्ट द्वारा संवत् 2076 में बाड़ बनाकर अतिक्रमण क प्रकरण में निर्णय जैर अपील पारित किया है, जिसे जैर अपील निरस्त करते हुए अपीलान्ट के पक्ष में नियमन करने का निवेदन किया है।

उक्त संबंध में राजपैरोकार का कथन किया कि नियमन की सिफारिश कर देने मात्र के आधार पर सरकारी भूमि पर काबिज व्यक्ति को उस भूमि पर स्वामित्व प्राप्त नहीं हो जाता है। कब्जाशुदा भूमि पर नियमन की सिफारिश के पश्चात कब्जासुद भूमि पर काबिज व्यक्ति के पक्ष में विधिवत नियमन होने के उपरान्त ही स्वामित्व प्राप्त हो सकता है। वकील अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट के पक्ष में नियमन हो गया हो ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि पर उसका कब्जा अतिक्रमण की श्रेणी में ही माना जायेगा। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील विधि अनुरूप होने का कथन करते हुए राजपैरोकार ने अपीलान्ट की अपील सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया गया है। प्रकरण में राजपैरोकार का उक्त कथन पूर्णतया उचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार नागौर द्वारा पारित निर्णय जैर अपील को यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 15:26:15 IST
Reason: SelfAttested